

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,
(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी),
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक....., 2012

विषय - वित्तीय वर्ष 2012-13 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-092-अन्य कार्यालय-0103-"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" विपत्र कोड-P2052000920103 में प्राप्त राशि 50.00 लाख में से द्वितीय चौमाही 01 अगस्त, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक के लिए प्राप्त राशि में से रु० 8,90,000/- (रु० आठ लाख नब्बे हजार) का व्यय हेतु आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब० 17/बी०एस०जी०-51/2012-422/वि० दिनांक-31.03.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग सं०-04 के अन्तर्गत बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-092-अन्य कार्यालय-0103-"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" विपत्र कोड-P2052000920103 के अन्तर्गत आय व्ययक अनुमान 2012-13 में रु० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) का बजट उपबंध प्राप्त है तथा उपबंधित राशि 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

02. विभागीय राज्यादेश संख्या-1104 दिनांक-29.08.2012 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त बजट उपबंध रु० 50.00 लाख (पचास लाख) में से संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय हेतु द्वितीय चौमाही 01 अगस्त, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक के लिए बजट में प्रावधानित राशि में से रु० 8,90,000/- (रु० आठ लाख नब्बे हजार) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

03. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-092-अन्य कार्यालय- 0103-"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" विपत्र कोड-P2052000920103 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय होगा। इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

04. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

05. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-06/बजट (योजना)-43/2012.....पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-06/बजट (योजना)-43/2012.....पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-06/बजट (योजना)-43/2012.....पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-06/बजट (योजना)-43/2012.....¹¹³⁴पटना-15, दिनांक.....^{4/9/12}

प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को Website पर Upload हेतु सूचनार्थ/संयुक्त सचिव कोषाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

2-4/9/12

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-092-अन्य कार्यालय-0103-"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" विपत्र कोड-P2052000920103 में प्राप्त राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय चौमाही 1ली अगस्त, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक के लिए व्यय हेतु आवंटन।

| क्र0 | विषय शीर्ष | आय व्ययक अनुमान 2012-13 | प्रथम आवंटन पत्रांक-5, दिनांक- 02.05.12 | इस पत्र के द्वारा दिया जा रहा आवंटन | इस वर्ष में अब तक का कुल आवंटन |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 01 01 वेतन | 17,00,000 | 5,61,000 | 5,44,000 | 11,05,000 |
| 2 | 01 02 विशेष वेतन | 12,000 | 3,960 | 4,000 | 7,960 |
| 3 | 01 03 जीवन यापन भत्ता | 9,00,000 | 2,97,000 | 2,88,000 | 5,85,000 |
| 4 | 01 04 मकान किराया भत्ता | 1,50,000 | 49,500 | 48,000 | 97,500 |
| 5 | 01 05 परिवहन भत्ता | 12,000 | 3,960 | 4,000 | 7,960 |
| 6 | 01 06 चिकित्सा भत्ता | 5,000 | 1,650 | 2,000 | 3,650 |
| योग - वेतन एवं भत्ते | | 27,79,000 | 9,17,070 | 8,90,000 | 18,07,070 |
| 7 | 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 2,00,000 | 66,000 | 0.00 | 66,000 |
| 8 | 11 01 यात्रा व्यय | 2,00,000 | 66,000 | 0.00 | 66,000 |
| 9 | 13 01 कार्यालय व्यय | 2,00,000 | 66,000 | 0.00 | 66,000 |
| 10 | 13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव | 13,21,000 | 4,35,930 | 0.00 | 4,35,930 |
| 11 | 13 03 दूरभाष | 2,00,000 | 66,000 | 0.00 | 66,000 |
| 12 | 13 04 विद्युत प्रभार | 1,00,000 | 33,000 | 0.00 | 33,000 |
| योग | | 50,00,000 | 16,50,000 | 8,90,000 | 25,40,000 |

(रूपये आठ लाख नब्बे हजार) मात्र

Uroora
3.09.2012
(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार, पटना